नर्सिंग महाविद्यालय-एम्स छात्रावास संख्या 15 (मेधा छात्रावास), मस्जिद मोठ नियमावली एवं विनियम

परिचय

छात्रावास संख्या 15 (मेधा छात्रावास), मस्जिद मोठ का उद्घाटन जून 1992 में किया गया था। यह एक खूबसूरत एवं पर्यावरण - अनुकूल सात मंजिला इमारत है जिसमें नर्सिंग छात्राओ के लिए बहुत - सी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छात्रावास संख्या 15 (मेधा छात्रावास), मस्जिद मोठ उप-अधीक्षक, छात्रावास तथा अधीक्षक, छात्रावास के सीधे नियंत्रण में आता है जो वार्डन एवं उनके स्टाफ के माध्यम से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं।

इमारत के भूतल पर बहुत - सी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे - सामान्य भण्डार एवं अध्ययन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, टी.वी. कक्ष, रोगी कक्ष तथा मैस।

छात्रावास के निवासियों से अपेक्षा की जाती है कि छात्रावास की उचित देखभाल के लिए कुछ नियमों एवं विनियमों का पालन करें।

सामान्य

- 1. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे हर समय तथा सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें।
- 2. जब भी छात्राएं भूतल पर आएं तो ठीक प्रकार से कपडे पहन कर आएं।
- 3. सामान्य कक्षों जैसे, मनोरंजन कक्ष, टी.वी.कक्ष एवं अध्ययन कक्ष का उपयोग करने के बाद उसे सुव्यवस्थित अवस्था में छोड़े (खिडिकियां बंद कर दें, फर्नीचर/तिकिए को उनकें स्थान पर ही रख दें, बत्ती, पंखे एवं ए. सी को बंद कर दें, दरवाजा बंद/लॉक कर दें।
- 4. कमरे में बिजली की प्रेस/बिजली की हॉट प्लेट तथा अन्य उपकरणों का इस्तेमाल वर्जित है, इसका उल्लंघन करने पर ऐसे उपकरणों को ज़ब्त कर लिया जाएगा।
- 5. छात्रावास में किसी भी बड़ी सभा / समारोह के लिए पूर्वानुमित लेनी होगी।
- 6. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी तलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है।

1 Dery

मैस

छात्राओं का छात्रावास मैस में शामिल होना अनिवार्य है। मैस को छात्राओं द्वारा चलाया जाता है।

- 1. बीमार छात्राओं के अतिरिक्त किसी भी छात्रा को मैस से भोजन अपने कक्ष में ले जाने की अनुमित नहीं है।
- 2. मैस की समय-सारणी निम्न है:-

नाश्ता	प्रात:	6.20 बजे से	प्रात:	9.30 बजे तक
दोपहर का भोजन	दोपहर	12.30 बजे से	दोपहर	2.30 बजे तक
चाय	शाम	4.30 बजे से	शाम	6.00 बजे तक
रात्रिभोज	रात	7.30 बजे से	रात	9.30 बजे तक
इस समय सारणी का सख्ती	से पालन	न करना होगा।		

3. अनुरोध करने पर केवल बीमार छात्राओं को ही उनके कमरे में उपयुक्त भोजन भिजवाया जा सकता है।

नियमावली

1. मिलने का समय, विलंब पास, सप्ताहांत पास तथा शहर से बाहर जाने की अनुमित :

मिलने का समय साप्ताहांत शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक शनिवार दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक रविवार एवं अवकाश प्रात: 9 बजे से रात 9 बजे तक

इस समय-सारणी का सख्ती से पालन किया जाए। छात्राओं को अपने संभावित आगंतुकों को इस समय-सारणी के विषय में सूचना दे देनी चाहिए।

- 2. छात्राएं अपने आगंतुकों से केवल विसिटिंग रूम में ही मिले। छात्राएं अपने आगंतुकों से मिलने के लिए ठीक प्रकार से कपडें पहन कर आएं। किसी भी आगंतुक को कमरे में आने की अनुमित नही है।
- रात 10.00 बजे छात्रावास के दरवाजे बंद कर दिए जाते है। जिन छात्राओं के पास विलंब पास है वे रात 10.00 बजे से पहले छात्रावास में वापस लौट आएं।

JON JON

- 4. छात्राओं की शाम की उपस्थिति छात्र पर्यवेक्षक द्वारा रात्रि 9.00 बजे से 9.30 बजे के बीच दर्ज की जाती है। प्रत्येक छात्रा को उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट करना अनिवार्य है। उपस्थिति दर्ज होने के बाद किसी भी छात्रा को छात्रावास के गेट से बाहर जाने की अनुमित नहीं दी जाएगी। यदि उपस्थिति दर्ज करते समय कोई छात्रा उपस्थित नहीं होती है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा तथा छात्रा पर्यवेक्षक के द्वारा उसकी रिपोर्ट उप-अधीक्षक कार्यालय में भेज दी जाएगी।
- छात्राओं को उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर शाम में पुस्तकालय जाने की अनुमित है। पुस्तकालय,
 से लौटने पर छात्राओं को विलंब पासबुक में अपनी वापसी का समय दर्ज करना होगा।
- 6. सप्ताहांत/छुट्टियों में अपने स्थानीय अभिभावक के निवास पर जाने के इच्छुक छात्राओं को एसओपी पुस्तिका में सभी अपेक्षित विवरण दर्ज करने होंगे। सही विवरण न देने अथवा एसओपी पुस्तिका में प्रविष्ट किए बिना अनुपस्थित होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
- 7. छात्राओं को कॉलेज के कामकाजी घंटो तथा कार्यदिवसों के दौरान अपने घर, स्थानीय अभिभावक के निवास अथवा कहीं और जाने की अनुमित नहीं है। यदि जाना अति आवश्यक है तो छात्रावास की वार्डन/उप-अधीक्षक से अनुमित लेनी होगी। कक्षा से अनुपस्थिति के लिए निर्संग कॉलेज से अनुमित लेनी होगी।
- 8. यदि छात्राओं को आपातकालीन स्थिति में शहर से बाहर जाने की आवश्यकता होती है तो उन्हें छात्रावास के उप-अधीक्षक/ वार्डन से लिखित रूप में पूर्वानुमित आवश्य लेनी होगी।
- 9. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहे। बीमारी हेतु अवकाश के लिए कॉलेज में आवदेन करें तथा छात्रावास पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त छात्राओं को भी रिपोर्ट करें।
- 10. कमरों के भीतर अथवा छात्रावास परिसर में पालतू जानवरों का प्रवेश वर्जित है।

कमरे

- छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कमरे को साफ-सुथरा रखें।
- 2. कमरे से बाहर जाते समय सभी बतियां एवं पंखे बंद कर दें।
- 3. अध्ययन कर रही छात्राओं को किसी भी समय विशेषकर अध्ययन समय के दौरान अर्थात शाम 7.00 बजे से रात 10.00 बजे तक परेशान न करें।

- 4. कमरे में खाना बनाना सख्त वर्जित है।
- 5. छात्राएं अपने कमरों में ज्यादा पैसे अथवा कीमती वस्तुएं न रखें। पैसे अथवा किसी कीमती सामान के नुकसान/खो जाने पर छात्रावास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
- 6. किसी भी अतिथि को छात्राओं के साथ रहने की अनुमित नहीं है। छात्रावास नियमावली द्वारा अनुमत्य न्यूनतम शुल्क एवं अविध हेतु अतिथि (केवल महिलाएं) हेतु कमरे की व्यवस्था करने के लिए छात्राओं को छात्रावास अनुभाग वार्डन अथवा छात्रावास उप-अधीक्षक से लिखित में पूर्वानुमित लेनी होगी।
- 7. कमरों का शुल्क लेने की अनुमित नहीं है।

बाथरूम आदि का इस्तेमाल

- छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि बाथरूम/शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ़-सुथरा छोड़ें। स्थान छोड़ने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि नल एवं बत्ती ठीक से बंद कर दिया है।
- 2. छात्राएं गीजर इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद कर दें।
- 3. सभी डिस्पोज़ेबल वस्तुओं को सीलोफेन/प्लास्टिक बैग में रखे तथा इसे बाथरूम में निकट बने स्थान पर रखे।
- 4. कूलर क्षेत्र के पास डस्टर, सॉस पैन तथा बोतलें जैसी वस्तुएं न छोड़ें।
- कूलर के पानी का इस्तेमाल केवल पीने के लिए करें। कूलर के स्विच को बंद न करें।
- 6. कपडे केवल बाथरूम के भीतर ही धोएं।
- 7. गलियारे आदि में कपड़े सुखाने की अनुमति नहीं है।

बस

- 1. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके लिए निर्धारित बस/यात्रा का आनंद लें।
- 2. छात्राओं को बस के प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम 10 मिनट पहले छात्रावास के गेट/नियत स्थान पर पहुंचना होगा।

and love,

सिविल एवं विद्युत संबंधी शिकायतें

- सिविल शिकायतों पर प्रात: 9.30 बजे से 1.00 बजे तक तथा दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.30
 बजे तक कार्रवाई की जाएगी। (इंटरनल नंबर 4054)
- 2. विद्युत शिकायते दिन में किसी भी समय दर्ज तथा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। (इंटरनल नंबर 3424)
- 3. सिविल, विद्युत, पानी के कूलर, ए.सी एवं बागवानी संबंधी शिकायतों के लिए टेलीफोन काउंटर के पास अलग से पुस्तिका रखी गई हैं।
- 4. उपयुक्त पुस्तिका में अपनी शिकायत की विशेष प्रकृति के अतिरिक्त स्पष्ट रूप से अपने कमरे का नंबर (जैसे- एस-327) भी लिखे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि पुस्तिका में यह भी लिखे कि शिकायत करवाने के लिए आप कब उपलब्ध होंगी।
- स्टाफ के कामकाज अथवा व्यवहार से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में कृपया वार्डन को सूचित करें। सीधे कोई कार्रवाई न करें।

आपातकालीन स्थिति एवं बीमारी

किसी आपातकालीन स्थिति (आग/चोरी आदि) अथवा बीमारी के मामले में कृपया वार्डन को सूचित करे। वह कार्रवाई करेंगी तथा आवश्यक सहयता प्रदान करेंगी।

निष्कर्ष

अपनी समस्याओं के लिए आप किसी भी समय वार्डन से मिल सकती है। छात्रावास में शांति बनाए रखने तथा सदभाव एवं घर जेसा वातावरण बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के सुझावों का स्वागत है।

यदि आपको कोई समस्या है, तो कृपया 011-26594964/011-26594965 नंबरों (छात्रावास संख्या 15, स्वागत पटल) पर संपर्क करे। हम आशा करते है कि छात्रावास में आपका समय आनंदमय व्यतीत हो।

छात्रावास अधीक्षक

COLLEGE OF NURSING - AIIMS

HOSTEL NO. 15 [Medha Hostel], Masjid Moth Rules & Regulation

Introduction

The Hostel No 15 [Medha Hostel] Masjid Moth was inaugurated in June 1992. It's a beautiful & eco friendly seven storyed building having many amenities for the nursing students.

The Hostel No 15 [Medha Hostel] Masjid, Moth comes under the direct control of the Deputy Superintendent of Hostel and Supdt. Of Hostel who administer it through the warden and his/her staff.

The ground floor of the building has several common facilities such as General Store & also the Reading Room, Recreation room, T.V rooms, sick rooms and the Mess.

Residents of the hostel are expected to observe a few rules and regulations to facilitate the proper maintenance of the Hostel.

General

- 1. Students are expected to behave politely at all times and with everyone.
- 2. Students should be properly dressed whenever they come to the ground floor.
- 3. Common rooms such as the recreation room, TV room and reading room should be left in order after use [Windows closed furniture/cushions in place, lights, fans & A.C. put off, door closed/locked].
- 4. Use of / electric press/ electric hot plates and other gadgets in the room is forbidden, if violated, such items will be confiscated
- 5. Prior permission should be obtained for any large gatherings/celebrations in the hostel mess.
- 6. CCTV cameras are installed in all floors to prevent undue event.

Mess

It is compulsory for students to join Hostel Mess. Mess is run by students.

- 1. Students are not allowed to take food from the mess to their rooms except for sick ones.
- 2. Mess timings are as follows:

Breakfast	6:20 am	-	9:30 am
Lunch	12:30 pm	-	2:30 pm
Tea	4:30 pm	-	6:00 pm
Dinner	7:30 pm	-	9:30 pm

These timings have to be adhered to strictly.

7/8/2024

3. Suitable meals may be sent up only to the sick students on request.

Rules

1. Visiting Hours, Late Pass, Weekend Pass and outstation permission. Visiting Hours:

Weekends	4:00 pm	-	9:00 pm
Saturdays	1:00 pm	-	9:00 pm
Sundays & Holidays	9:00 am	-	9:00 pm

These timings have to be adhered strictly. Students should inform their prospective visitors about their timings.

- 2. Students will meet their visitors only in the student visiting rooms. Students should come down properly dressed to meet their visitors. No visitor should be taken up to the room.
- 3. The hostel gates are closed at 10:00 pm. Students who have availed late pass should return to hostel before 10:00pm.
- 4. The evening attendance of the students is taken by the student supervisor between 9:00 pm to 9:30 pm. It is compulsory for every student to report for attendance. No one is permitted to go outside the hostel gates after attendance. Students in the hostel would be marked on absent if not present for attendance and the report will be sent to the Dy. Supdt. Office by the student supervisor.
- 5. Students are permitted to go to the library in the evening within the above stipulated timings. On return from the library students should enter their time of return in the late pass book.
- 6. Students intending to go to their local guardians residence for weekend / holidays should enter all the expected particulars in the SOP book. Failing to white details or absence without entry in the SOP book can result in strict action.
- 7. Students are not permitted to go to their home, local guardian residence or elsewhere during college working hours and weekdays. If there is some urgent need, permission is to be taken from the warden/Dy. Supdt. Of Hostels. For absence from class the permission from college of nursing.
- 8. Students needed to leave stations in emergency must take written prior permission from the Dy. Supdt. Of hostel /warden
- 9. Students are expected to attend classes regularly. Sick leave should be applied at the college and also reported to the students posted for hostel Supervision.
- 10.Pet animals are not allowed inside the rooms or within the hostel premises.

Rooms

- 1. Students are expected to keep their room neat and clean.
- 2. Before leaving the room all lights and fan should be turned off.
- 3. Students shouldn't disturb to those who are at study or anytime and especially during the study time that is 7:00pm to 10:00pm.
- 4. Cooking in the room is strictly prohibited.
- 5. Students shouldn't keep too much money or valuable things in their room. The hostel authorities will not hold any responsibility in case of loss of any money or valuables.
- 6. No guest is permitted to stay with the students. The student should get a prior written permission from Dy. Supdt Of hostel or the warden hostel section to arrange the room for the guest {ladies only} on a minimal charge and period as permissible by the hostel rules.
- 7. Charge of rooms is not allowed.

Use of bathrooms ets.

- 1. Students are expected to leave the bathroom /toilet clean after use. Also make sure that the taps are closed properly and the light put off before leaving the place.
- 2. Students should switch off the geyser after using the geyser.
- 3. All disposable items should put into cellophane/plastic bags and put into the chutes which are near the bathrooms.
- 4. Do not leave the article like dusters, sauce pan and bottles near the cooler areas.
- 5. Use the cooler only for drinking water. Cooler switch need not to be put off.
- 6. Washing of clothes should be done only inside the bathrooms.
- 7. Drying of clothes in the corridors etc. Is not permitted.

<u>Bus</u>

- 1. Students are expected to take the bus/trip specially meant for them.
- 2. Students must be down near the gate/allocated space near the hostel at least 10 minutes before the scheduled time of departure of the bus.

Civil & Electrical Complaints.

- 1. Civil complaints will be attended from 9:30 am to 1: 00 pm from 2:00 pm to 4:30 pm [Internal No. 4054]
- 2. Electrical complaints will be attended at anytime of the day. [Internal No. 3424]
- 3. There are separate books kept near the telephonic counter, on for Civil, Electrical, Water Cooler, AC & Horticulture complaints.
- 4. Apart from entering the specific nature of your complaint in the appropriate book with your room number written clearly (eg. S-327). You are also expected to write in the book when you will be available in your room for the complaint to be attendant.

5. In case of any complaints against the behaviour or work of the staff, please, report to the warden. Don't taken action directly.

Emergency and Illness

In case of illness or any emergency (fire/theft.etc) please inform the warden. She will take an action and give all the necessary assistance.

Conclusion

You are free to go to the warden at any time with your problem. Suggestions for maintaining peace and harmony and homely atmosphere in the hostel are welcome.

IF YOU HAVE ANY KIND OF PROBLEM KINDLY CONTACT ON THIS NO 01126594964/01126594965 [HOSTEL NO. 15 RECEPTION]

We hope you will enjoy your stay in the hostel.

SUPERINTENDENT OF HOSTELS